

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 फरवरी, 1979

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 28 फरवरी, 1979

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
भोक प्रस्ताव	(1)13
अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं:—	
1. सभापतियों की तालिका	(1)18
2. याचिका समिति	(1)19
सचिव द्वारा घोषणा	(1)19
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(1)19
सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र	(1)20—21

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 28 फरवरी 1979

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 15.14 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई)

श्री अध्यक्ष: हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के नियमों 18 की पैरवी में मैंने यह रिपोर्ट करना है कि संविधान के आर्टिकल 176(1) के तहत राज्यपाल महोदय ने आज 28 फरवरी, 1979 को दो बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा को ऐड्रेस करने की कृपा की।

ऐड्रेस की एक कापी हाउस की मेज पर रखी जाती है।

‘स्पीकर महोदय तथा आदरणीय सदस्य गण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के पहले सत्र में आप सब का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पूरे

एक वर्ष के बाद इस मान युक्त सदन को सम्बोधित कर रहा हूँ। इस समय के बीच मेरी सरकार ने राज्य के लोगों की उचित आशाओं को पूरा करने, भिन्न-भिन्न विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने और राज्य के भाहरियों को निष्पक्ष, स्वच्छ तथा सचेत प्रशासन देने के यत्न जारी रखे हैं। लोगों की आजादी बहाल करने के बाद मेरी सरकार के सामने बड़ा काम राज्य की अर्थ व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना रहा है।

दुर्भाग्य से पिछली बरसात में राज्य में फिर से भारी बाढ़ें – विशेषतः यमुना नदी में – जिनके कारण दूर दूर तक भारी तबाही हुई। इन बाढ़ों से राज्य के क्षेत्र का लगभग छठा भाग प्रभावित हुआ और लगभग 12 लाख लोगों को हानि पहुंची। तथापि, हमारे राज्य के बहादुर लोगों ने इस मुसीबत का लगातार दूसरे वर्ष साहस से सामना किया और मेरी सरकार ने पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाई। बीज और रासायनिक खाद के लिए 275 लाख रुपये की रकम 'तकावी' कर्जों के तौर पर मंजूर की गई। घरों की मरम्मत के लिए अनुदान, बीज के लिए उपदान और दूसरे राहत उपायों के लिए 200 लाख रुपये दिये गये। पीड़ित लोगों को दवाइयां, खाने का सामान, सूखा दूध पाउडर, कपड़े, कम्बल और रजाइयां तुरन्त सप्लाई की गई। स्थायी राहत के लिए, बाढ़ से टूटे मकानों की मरम्मत करने और उन्हें दोबारा बनाने के लिए बैंकों के सहयोग से कर्ज देने की योजना भी बनाई गई।

जैसा कि मैंने पिछली बार जिक्र किया था, बाढ़ पर काबू पाने के लिए एक बड़ी योजना, जिस पर 138 करोड़ रुपये खर्च होंगे, मंजूर की जा चुकी है और इसे फलीभूत करने के लिए प्रधानता दी जा रही है ताकि राज्य से बाढ़ों के खतरे को, जहां तक हो, समाप्त किया जा सके। यह सरहानीय बात है कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम चालू करके उन्हें पिछले बाढ़ के मौसम से पहली ही सिरे चढ़ा दिया गया। जैसे कि, उजीना डाइवर्शन ड्रेन (Ujina Diversion Drain) के पहले भाग को जुलाई, 1978 में ही तैयार करके चालू कर दिया गया था, जिसके फल स्वरूप गुड़गांव जिले के विनाल क्षेत्र बाढ़ से बचा लिए गए तथा उनमें रबी की फसलें बोई गईं, अन्यथा ये क्षेत्र पानी में डूबे रहते। इसी तरह चुड़ानी भूपनिया ड्रेन बना कर रोहतक झज्जर के बहुत से इलाके को बाढ़ से बचा लिया गया और रबी की बिजाई कर दी गई। इसी समय में झज्जर और असन्ध नगरों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए कार्यवाही की गई। 149 गांवों के गिर्द बनाये गये बांधों से गांवों की आबादियों का बहुत बचाव हुआ है। महायोजना में शामिल की गई अन्य स्कीमों पर कार्य चल रहा है। इन पर चालू तथा अगले वित्त वर्ष के दौरान लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।

जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में खेती तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना, अतिरिक्त बिजली और अधिक ग्राम योजक सड़कों

तथा ट्रान्सपोर्ट आदि का बन्दोबस्तक करके अर्थ व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करना तथा इसके इलावा समाज के कमजोर वर्गों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 210 करोड़ रुपये की योजना के अनुसार स्कीमें सिरें चढ़ाने की आशा करती है। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने योजना आयोग से 227.30 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना की मंजूरी ले ली है।

हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए मेरी सरकार ने खेती के विकास को प्रधानता दे रखी है। हमारे राज्य में सिंचाई के लिए जल की निश्चित सप्लाई खेती की परम आवश्यकता है। इसलिए वार्षिक योजना (1979-80) का एक बड़ा भाग, अर्थात् 142 करोड़ रुपये जोकि कुल खर्च का 63 प्रतिशत है, सिंचाई, बिजली और बाढ़ की रोकथाम के लिए रखा गया है। 1979-80 के दौरान मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों पर लगभग 58 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण स्कीमों में, हरियाणा के इलाके में सतलुज यमुना लिंक को पूरा करना, जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम को लगभग पूरा करना, जलमार्गों को पक्का करने का भारी काम, सूखाग्रस्त रेतीले क्षेत्रों आदि में नये गहरे नलकूप लगाना, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बौछारी सिंचाई को बढ़ाना आदि शामिल है। वि. व. बैंक जलमार्गों को पक्का करने की स्कीम को पूरा करने के लिए काफी मदद देने के लिए सहमत हो गया है और सरकार 5 वर्षों के दौरान 20000

किलोमीटर जलमार्ग पक्के करना चाहती है। इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसका आधा भाग वि व बैंक सहायता प्रोग्राम के अधीन होगा। चालू माली साल में 18000 नलकूपों को बिजली दी जाने की आ ता है और अगल साल के दौरान भी 18000 नलकूपों को बिजली दी जाएगी। सिंचाई क्षेत्र में इन सारे यत्नों का फल यह होगा कि 1979-80 के दौरान 140000 हैक्टेयर अधिक भूमि को नि चित सिंचाई मिल जाएगी।

अगले वर्ष की योजना में पंजाब के इलाके में सतलुज यमुना लिंक स्कीम पर खर्च के लिए 16 करोड़ रुपये रखे गये हैं। काम की गति को देखते हुए इस खर्च को जरूरत के मुताबिक बढ़ा दिया जाएगा। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि पंजाब क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण स्कीम पर काम जल्दी से जल्दी पूरे जोरों से भुरू कर दिया जाए।

वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य में बिजली सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी रही है और सामान्यतः बिजली में कोई कटौती नहीं की गई। यह सन्तोश की बात है कि फरवरी 1978 से नलकूपों के लिए बिजली की सप्लाई 22 घण्टे प्रतिदिन रही है। बिजली की यह अधिक सप्लाई नवम्बर, 1977 और मार्च 1978 में देहर के बिजलीघर के पहले दो यूनिटों और जनवरी, मार्च और अक्टूबर 1978 में पौंग बिजलीघर के तीन यूनिटों के चलने से मिला है। देहर में बन रहे दो और बिजली उत्पादन यूनिट इसी वित्त वर्ष में ही चालू किए जाने की संभावना है। पानीपत ताप

बिजलीघर की पहली स्टेज के अधीन 110-110 मेगावाट वाले पहले दो यूनिटों में से एक के इस वित्त वर्ष के अन्त तक तथा दूसरे यूनिट के 1979 के मध्य तक भुरू हो जाने से स्थिति में और सुधार हो जाएगा। दिसम्बर, 1979 तक फरीदाबाद ताप बिजलीघर से अधिक मात्रा में बिजली मिलनी भुरू हो जाएगी।

पानीपत ता बिजलीघर की दूसरी स्टेज पर कार्य भी जोर भाोर से भुरू किया गया है। इसमें 73 करोड़ रूपये की कुल लागत से 110-110 मेगावाट वाले दो यूनिट भामिल हैं और इसकी मंजूरी भारत सरकार से ली जा चुकी है। 80 करोड़ की लागत की पानीपत ताप बिजली स्कीम की तीसरी स्टेज और 273.35 करोड़ रूपये की लागत की 200-200 मेगावाट वाले चार यूनिटों वाली यमुनानगर ताप बिजली स्कीम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजी हुई है। पश्चिमी यमुना नहर पर 48 मेगावाट क्षमता की बिजली पैदा करने की स्कीम की पहली स्टेज पर भी काम भुरू हो गया है। मेरी सरकार बिजली पैदा करने की नई स्कीमों पर बहुत बल दे रही है ताकि आने वाले वर्षों में, जब राज्य में बिजली की मांग में काफी वृद्धि हो चुकी होगी, बिजली की सप्लाई में कमी न आने पाएं इसके इलावा, मेरी सरकार तीन बांध परियोजना जैसी अन्तर्राज्यीय स्कीमों से पैदा होने वाली बिजली में अपने जायज दावे की पूरे जोर से पैरवी कर रही है। बिजली पैदा करने वाली केन्द्रीय स्कीमों, अर्थात् जम्मू तथा काश्मीर की सलाल स्कीम, हिमाचल प्रदेश की बैरासियूल स्कीम,

तथा उत्तर प्रदेश की सिंगरौली ताप बिजली स्कीम, में हरियाणा को हिस्से मिल चुके हैं।

मेरी सरकार राज्य में जल तथा बिजली के साधनों को बढ़ाने के इलावा कृषि उपज तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सघन खेती तथा बेहतर कृषि वैज्ञानिक उपायों को बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार रासायनिक खादों के प्रयोग का प्रचार करने के लिए छोटे किसानों को फास्फेट तथा पोटैशियम खाद खरीदने के लिए सहायता अनुदान दे रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान रासायनिक खादों तथा बीजों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये का उपदान बांटा जा चुका होगा। सरकार की सहायता से किए जा रहे हवाई छिड़काव तथा भूमि छिड़काव द्वारा कपास, गन्ना तथा तिलहन की फसलों की सुरक्षा के लिए सघन उपाय अपनाए गए हैं। राज्य में भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों तथा चारे के एक लाख से अधिक क्विंटल प्रमाणित बीज राज्य में सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है और 30 हजार एकड़ कल्लर भूमि को खेती योग्य बनाया जाना प्रस्तावित है। किसानों को खेती से सम्बन्धित नये से नये ज्ञान के बारे में फौरी जानकारी देने के लिए एक विशेष विस्तार परियोजना, जिसके द्वारा बुनियादी कर्मचारियों और किसानों के बीच अधिक ओर व्यापक सम्पर्क रखा जाता है, विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से शुरू की गई है।

बेनाक यह सराहनीय बात है कि बाढ़ों द्वारा हुई तबाही के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान अनाज की पैदावार 58 लाख

टन से भी अधिक होने की संभावना है जबकि लक्ष्य 55.05 लाख टन था। राज्य के अगले वर्ष के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए 1979-80 के लिए अनाज की पैदावार का लक्ष्य 60 लाख टन रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष में धान के अधीन क्षेत्र में लगभग 30 प्रति शत तक वृद्धि हुई है और 12.50 लाख टन की पैदावार का नया रिकार्ड कायम होने की संभावना है, जबकि वर्ष 1977-78 में धान की पैदावार 9.64 लाख टन थी।

खेती की पैदावार बढ़ जाने के कारण मण्डियों में धान की भरमार हो गई। सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए 'हैफेड' की एजेंसी के माध्यम से तुरन्त ही धान की खरीद शुरू कर दी। इस समय सरकार आलुओं की पैदावार बढ़ जाने के कारण आलू उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रही है। जैसाकि आपको ज्ञात है, सरकार ने चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों के लिए पहले ही उचित मूल्य दिलाने का वि वास दिया है, यद्यपि इससे सरकार खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, छोटे किसानों को राहत देने के लिए, खरीफ 1978 से 6.25 एकड़ भूमि तक है। टैक्टरों पर टोकन टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने नलकूपों के लिए बिजली की सप्लाई फ्लैट रेट पर देनी चालू कर दी है, किन्तु मीटर की सप्लाई चाहने वाले किसानों के लिए भी ऐसी सप्लाई का बन्दोबस्त कर दिया गया है। किसानों को उनकी पैदावार का न्याय

पर आधारित उचित मूल्य दिलवाने के लिए मेरी सरकार यत्न करती रहेगी।

मण्डियों में अधिक मात्रा में अनाज आने से पैदा हुई समस्या को स्थायी तरीके से सुलझाने के लिए मेरी सरकार सहकारी भण्डार कायम करने के लिए वि व बैंक की मदद से एक स्कीम बना रही है। राज्य में भण्डारों की क्षमता 1977-78 के 12.37 लाख टन से बढ़कर चालू वित्त वर्ष के दौरान 14.49 लाख टन हो जाने की संभावना है, और 1979-80 में इसे 15.74 लाख टन करने का प्रस्ताव है। चुने हुए स्थानों पर नई मण्डियां स्थापित की जा रही हैं और वर्तमान अनाज मण्डियों को आधुनिक बनाया जा रहा है।

मैंने पहले भी कुछेक स्कीमों में वि व बैंक की सहायता का वर्णन किया है। इस सिलसिले में यह बात बताने योग्य है कि राज्य सरकार ने 191 करोड़ की लागत वाली एक संयुक्त ग्रामीण विकास परियोजना के लिए वि व बैंक के साथ समझौता किया है, जिसके अधीन भारत सरकार तथा बैंकिंग संस्थाओं को वि व बैंक द्वारा 95.50 करोड़ रुपये की कर्जे की सहायता दी जायेगी। इस स्कीम में नहरों तथा ज मार्गों को पक्का करना, देहाती सड़कों का निर्माण, देहाती जल सप्लाई स्कीमों, नहरों में पानी बढ़ाने के लिए नलकूप लगाना, मण्डियों का विकास तथा भूमि को समतल करना शामिल है। इन स्कीमों के सभी अंगों पर कार्य भुरू हो चुका है और यह चार वर्षों में पूरा हो जायेगा।

सहकारी क्षेत्र खेती की पैदावार बढ़ाने तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्ज देने, पैदावार बिकवाने, सामान दिलवाने और भण्डार के लिए सुविधा जुटाने के क्षेत्र में सहकारी समितियों तथा संघों के माध्यम से किसानों की सहायता करने के अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों, चावल भौलरों, कताई मिल और अन्य बड़ी संस्थाओं द्वारा देहातियों की सहायता और सेवा की जा रही है। सहकारी समितियों की कार्यचालन पूंजी 540 करोड़ रुपये तक बढ़ चुकी है तथा भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया कर्जा 130.34 करोड़ रुपये तक हो गया है। 1-7-78 से थोड़े समय के लिए दिये गये कर्जों पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत कर दी गई है और कर्जदारों को अपने वर्तमान कर्जों पर 2.25 करोड़ रुपये वार्षिक लाभ होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को 3 करोड़ रुपये का कर्जा भी दिया ताकि वे किसानों को गन्ने की कीमत अदा कर सकें। सहकारी संस्थाओं द्वारा समाज के कमजारे वर्गों को 1.25 करोड़ रुपये की राशि के थोड़े समय में वापिस किये जाने वाले ऐसे कर्ज भी दिये जिनसे वे अपनी सामान्य जरूरतें पूरी कर सकें।

मेरी सरकार बेराजेगारी की समस्या सुलझाने के उद्देश्य से पशुपालन, डेरी विकास, मछली पालन तथा जंगलात से सम्बद्ध क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्कीमों चला रही है। आशा है कि

भारतीय डेरी निगम, हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ को 'आप्रे 1 न फलड 2' का कार्यक्रम चलाने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये तक की सहायता देगा जिसके अधीन पशु स्वास्थ्य, (Artificial Insemination) तथा अन्य सेवाओं का बन्दोबस्त किया जाएगा। रोहतक तथा गुड़गांव जिलों को कार्यक्रम के प्रथम चरण में लिया जा चुका है तथा अन्य जिलों को दूसरे चरण में रखा जायेगा। अब सरकार की नीति यह है कि राज्य से पशुधन के निर्यात को कम किया जाए। वन विभाग ने बिचोलियों को हटाने के लिए लकड़ी काटने और बेचने का कार्य विभागीय तौर पर अपने हाथ में ले लिया है।

मेरी सरकार पढ़े लिखे देहाती नौजवानों को रोजगार के अवसर जुटाने के लिए दस्तकारी को देहात में फैलाने की नीति अपना रही है। आशा है कि देहात में उद्योगधन्धों की स्कीम के अधीन 1978-79 में 330 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। इस स्कीम के अधीन आगामी 5 वर्ष के दौरान 1900 से अधिक यूनिट स्थापित करने की आशा है। इससे लगभग 15 हजार बेरोजगार देहाती नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। अब सरकार जिला उद्योग केन्द्र खोल रही है जिनके द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं और सेवाएं एक स्थान पर प्रदान की जायेगी, जैसाकि नये उद्योग कर्ताओं को ठीक स्कीमों चुनने के बारे में सूचना उपलब्ध करना, संभाव्यता रिपोर्टों को तैयार करना, मशीनरी की सप्लाई का प्रबन्ध करना, कच्चे माल का बन्दोबस्त करना, कर्जों की

सुविधाएं देना, माल बिकवाना तथा दूसरी विस्तार सेवाएं प्रदान करना, इत्यादि। इसके इलावा नये 'क्वालिटी मार्किंग' केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा मामलों के निपटान की कार्य प्रणाली को सरल बनाया जा रहा है। खास तौर पर देहातों में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की नीति के अधीन मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु यूनिटों को बहुत से प्रोत्सासन देने की घोषणा की है।

बड़े उद्योगों के क्षेत्र में यह भी जिक्र करने योग्य है कि धारूहेड़ा में एक कागज बनाने तथा गुड़गांव में हाथ की घड़ियां बनाने के कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है। भारत सरकार के ने इनल फर्टेलाइजर्स लिमिटेड द्वारा पानीपत में लगाये गये कारखाने में खाद बनना शुरू हो गया है।

मेरी सरकार ने बच्चों की शिक्षा को महत्व देते हुए अगले 5 से 7 वर्षों के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा को सब बच्चों पर लागू करने का काम शुरू किया है। वर्ष 1979-80 के अन्त तक प्राथमिक शिक्षा का फैलाव 78.2 प्रति सत हो जाने की संभावना है। शिक्षा के विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 1978-79 के दौरान 71 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मिडल स्कूल बना दिया गया है और 40 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान 90 और प्राथमिक स्कूलों तथा 90 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने 1 अप्रैल, 1979 से सिद्धांत के रूप में

10+2+3 की शिक्षा प्रणाली को दर्जा बदरजा लागू करने का फैसला भी कर लिया है। राज्य में 2 अक्टूबर, 1978 से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया। शिक्षा के भिन्न-भिन्न दर्जों पर वजीफे और दूसरे प्रोत्साहन देकर लड़कियों को तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को शिक्षा देने के लिए खास यत्न किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार गैर सरकारी कालिजों की माली हालत के प्रति चिंतित है और सरकार ने फैसला किया है कि इन कालिजों के 75 प्रतिशत घाटे को पूरा किया जाये जबकि पिछले वर्ष 30 प्रतिशत के घाटे को पूरा किया गया था। अन्य आर्थिक सहायता को मिला कर गैर सरकारी कालिजों के कुल 84 प्रतिशत घाटे का पूरा किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र तथा रोहतक में चल रही यूनिवर्सिटियों के अधिकार क्षेत्र निश्चित कर दिये गये हैं और रोहतक, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी और सोनीपत जिलों के कालिजों को रोहतक की यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिया गया है। सरकार की नीति यह है कि महर्षि दयानन्द विविद्यालय, रोहतक के कार्य को उचित रूप से बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए और इस प्रयोजन के लिए साधन जुटाए जाएं।

मेरी सरकार रोजगार संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा तथा ट्रेनिंग को बढ़ावा दे रही है। डाक्टरी शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। मैडिकल कालिज, रोहतक, जिसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और

जिसका काम ऊंचे अधिकारों वाली प्रबन्धक कमेटी के अधीन हो रहा है, डिग्री के बाद की पढ़ाई के लिए और सेहत की देखभाल और इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए नई स्कीमें भुरु कर रहा है।

खेल-कूद के क्षेत्र में, देहाती खेल-कूद केन्द्रों की स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हर ब्लाक में दो खेल कूद केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा सरकार द्वारा इन्हें खेल कूद का सामान सप्लाई किया जाता है। उन अच्छे खिलाड़ियों को, जो उचित भोजन का बन्दोबस्त नहीं कर पाते, वजीफे और दूसरी आर्थिक सहायता दी जायेगी। नकद इनामों की स्कीम के अधीन उन खिलाड़ियों को, जिन्होंने वि व स्कूल खेलों में तथा आठवीं एि ायाई खेलों में विजय प्राप्त की है, 57 हजार रूपये के इनाम दिये गये है। अच्छे खिलाड़ियों की नयी पौद के लिए खेल कूद की सिखलाई और उनको अधिक सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि हमारे लड़के लड़कियां राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सफलता प्राप्त कर सकें।

मेरी सरकार देहातों के समूचे विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। क्षेत्र आधारित प्रोग्रामों (जैसे कि डी.पी.ए.पी., सी.ए.डी. ए.) तथा लाभा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नि ाना रखने वाले प्रोग्रामों (जैसे एस.एफ.डी.ए.) को इकट्ठा करके जो लक्ष्य सामने रखे गये हैं वे ये है:—

1. स्थानीय क्षमता के पूरे प्रयोग से देहात में खेती सम्बन्धी तथा दूसरी पैदावार की वृद्धि करना।

2. देहात में, खात तौर पर, जनता के कमजोर वर्गों के लिए जिनमें छोटे किसान, खेत मजदूर, देहाती कारीगर, महिलाएं तथा अन्य कम सुविधा प्राप्त वर्ग शामिल हैं, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाना तथा।

3. गांवों के लिए अच्छी सड़कों से खेती की पैदावार को मण्डियों तक पहुंचाना, बेहतर स्वास्थ्य देखरेख का बन्दोबस्त करना, पीने के पानी का प्रबन्ध आदि मूल सुविधाएं प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त देहात में लाभकारी रोजगार जुटाने के लिए मेरी सरकार ने नवम्बर, 1978 से 'काम के बदले अनाज' प्रोग्राम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अधीन सामुदायिक केन्द्रों और स्कूल भवनों का निर्माण, तालाबों की खुदाई तथा योजक सड़कों का निर्माण किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाने वाला लगभग 20000 टन गेहूं चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रोग्राम के लिए प्रयोग में लाए जाने की आशा है। वर्ष 1979-80 के लिए मेरी सरकार इस स्कीम के अधीन बहुत फैलाव वाला कार्यक्रम आरम्भ कर रही है। देहाती लोगों को जागृत करने के लिए राज्यभर में इस कार्यक्रम के अधीन मार्च, 1979 के दूसरे हफ्ते में एक सघन अभियान भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। मुख्य मंत्री

खुद इस अभियान की अगुआई करेंगे तथा लोगों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

मेरी सरकार ने देहता की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए दिल्ली के गिर्द लगभग 40 मील के क्षेत्र में सब्जी की का त तथा मुर्गी पालन आदि के एक भारी कार्यक्रम के लिए सहायता देने का भी निर्णय लिया है।

मेरी सरकार द्वारा घोषित की गई नई स्वास्थ्य नीति के नि ाने को पूरा करने के लिए, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु इलाज के साधन देहात तक पहुंचाए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों, दाई प्र ि ाक्षण तथा हर प्रकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों से सम्बद्ध स्कीमों को जोर- ाोर से चलाया जा रहा है। देहात में नये हस्पताल खोले जा रहे हैं और जहां कहीं जरूरी है वर्तमान हस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। देसी इलाज के प्रचार के लिए आयुर्वेदिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। मेरी सरकार स्वेच्छा के आधार पर ही परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाने के लिए वचनबद्ध है।

देहात में जीवन स्तर को अधिक ऊंचा करने के लिए ग्राम जल सप्लाई योजनाओं के लिए 1979-80 की वार्षिक योजना में 7.5 करोड़ रुपया रखा गया है। कमी वाले अतिरिक्त 125 गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं जुटाने का लक्ष्य 31 मार्च, 1979 तक प्राप्त कर लिया जायेगा। वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 190

और गांवों को है। मेरी सरकार इस कार्यक्रम को सबसे अधिक महत्व देती है। गांवों के समूहों के वास्ते स्थापित किये जा रहे जल घरों को सुन्दर रूप दिया जा रहा है ताकि वे देहात के परिवर्तन के प्रतीक बन सकें जिसके लिए मेरी सरकार वचनबद्ध है।

देहात की अर्थ-व्यवस्था अलग-थलग रह कर खुलाहाल नहीं बन सकती, इसलिए देहात को भाहरी क्षेत्रों तथा नयी मण्डियों के साथ जोड़ना होगा। मेरी सरकार ने राज्य भर के लिए आवयकताओं के आधार पर सड़कों के निर्माण का एक प्रोग्राम तैयार किया है। चालू वर्ष के दौरान सड़कों तथा पुलों पर 11.56 करोड़ रूपये की राशि खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रोग्राम के अधीन बाढ़ों से टूटी सड़कों को दोबारा बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण यिका जायेगा और सड़कों की पटरियों को मजबूत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लगभग 200 गांवों को मिलाने वाली 450 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा। वर्ष 1979-80 में इस कार्यक्रम के लिए 12 करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। इसमें 300 अतिरिक्त गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाली 550 किलोमीटर लम्बी देहाती सड़कों का निर्माण शामिल है। वास्तव में मेरी सरकार ने 1982 तक प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है।

मेरी सरकार देहाती मार्गों पर और अधिक बस सेवाओं का प्रबन्ध करने के लिए योजना बना रही है, इसलिए वर्ष

1979-80 के दौरान 192 पुरानी बसों को बदलने के साथ-साथ 200 नई बसें चलाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 1979-80 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ और वर्क ाप केन्द्रों वाले बस-अड्डे और कुछ अलग बस अड्डे भी बनाये जायेंगे और लगभग 150 बस 'क्यू भौल्टर' बनाये जायेंगे। यात्रियों को दी गई नई सुविधाओं में विद्यार्थियों के लिए टिकटों की रिययातों में वृद्धि तथा अपाहज व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा घोशित निर्णय महत्वपूर्ण है।

मेरी सरकार नगरों तथा नगर सम्पदाओं के विकास में भी पीछे नहीं है। बढ़ती हुई आबादी के कारण ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में मकानों की बड़ी गम्भीर समस्या हो गई है। इसलिए सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण का जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया। फौजियों और भूतपूर्व सैनिकों को मकान की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित ध्यान दिया जा रहा है।

यह महत्व का विशय है कि हरियाणा ने टूरिस्ट-यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में नाम कमाया है। हरियाणा टूरिजम कारपोरे ान ने यहां तक मान्यता प्राप्त कर ली है कि यह दूसरे राज्यों को सलाह म वरा दे रहा है। मेरी सरकार विचार कर रही है कि हरियाणा के बड़े भाहरों से राज्य और केन्द्र की राजधनियों तक हवाई जहाज द्वारा यात्रा की सुविधा प्राप्त कराई जाए।

सरकार हरिजनों के कल्याण तथा उनकी सामाजिक रक्षा के बारे में भी सचेत है। छुआछुत को दूर करने के यथासम्भव यत्न किया जा रहे हैं। हरिजनों पर अत्याचार के मामलों में सरकार द्वारा गम्भीर कार्यवाही की जाती है। पुलिस अफसरों को आदेश दिया गया है कि ऐसे मामलों की जांच ऊंचे दर्जे के अधिकारियों की देखरेख में भीघ्र तथा प्रभावी ढंग से की जाए। यह सन्तोश की बात है कि हमारे राज्य में ऐसे मामलों की संख्या बहुत ही कम है। देहाती समाज में भ्रान्ति स्थापित करने के लिए नवम्बर 1978 में सारे राज्य में 'समानता सप्ताह' मनाया गया था। इस विशेष अभियान के दौरान हरिजन चौपाल निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम मुख्य मंत्री की प्रेरणा से आरम्भ किया गया था। इस अवधि के दौरान मुख्य मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा विधायकों ने देहात में ऐसी अनेक चौपालों का निर्माण किया। लगभग 1000 चौपालों पर काम हो रहा है और 500 अन्य चौपालों के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई है तथा जनता से 70 लाख रुपये की राशि अर्जित करने के रूप में प्राप्त हुई है। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा में रोजगार के लिए पदों का आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान मेरी सरकार द्वारा बच्चों, खास तौर पर हरिजनों तथा पिछड़ी श्रेणियों के बच्चों और अपाहज बच्चों को सुविधाएं देने का प्रस्ताव है— जैसे कि वजीफे और दूसरी माली मदद, मुफ्त पुस्तकें और कपड़े देना, पोशण आहार उपलब्ध कराना, सेहत की जांच कराना, और रचनात्मक और मनोरंजन की सुविधायें जुटाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरियाणा में एक 'बाल निधि' (Children's Fund) की स्थापना की गयी है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उनको भाषाण से बचाने के लिए एक व्यापक बाल अधिनियम (Comprehensive Children's Act) बनाने का प्रस्ताव भी मेरी सरकार के विचारधीन है।

लोगों के जीवन के ढंग तथा रहन-सहन में सुधार लाने के विचार से मेरी सरकार नशाबन्दी के लिए प्रभावशाली कदम उठा रही है। नशाबन्दी को राज्य में चार वर्षों के अन्दर क्रमबद्ध रूप से लागू करने का प्रस्ताव है। ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में देसी भाराब की दुकानों को बन्द करने के बारे में उन द्वारा पास किये गए 125 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश की सीमा के 5 किलोमीटर के अन्दर बनी सभी भाराब की दुकानें 1-4-78 से बन्द कर दी गई हैं। नशाबन्दी के दिनों की संख्या 15 से बढ़ा कर 79 कर दी गई भाराब पीने की आदत छुड़ाने के उद्देश्य से 3 प्रतिशत की कम अल्कोहल वाली बीयर की बिक्री के लिए लाइसेंस

दिय गये हैं। इन उपायों के कारण राजकोश में चालू वर्ष के दौरान लगभग 6 करोड़ रूपये का घाटा होने की सम्भावना है। मेरी सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी।

समाजिक और आर्थिक विकास तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए भ्रान्ति तथा सुरक्षा का वातावरण बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी सरकार ने राज्य में औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर समझौता मीनरी को मजबूत किया है। मेरी सरकार कामगारों की उचित मांगों के प्रति बहुत हमदर्दी रखती है, इसलिए महत्वपूर्ण अनुसूचित रोजगारों में कम से कम मजदूरी की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सरकार यह भी चाहती है कि औद्योगिक भ्रान्ति अव्यवस्था बनी रहे ताकि औद्योगिक यूनिटों के उत्पादन में रूकावट न आने पाये।

यह संतोष का विषय है कि राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति काबू में रही है। कानून लागू करने वाली मीनरी में सुधार लाने के लिए महकमे की बढ़ती हुई जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु पुलिस अमले को बढ़ाया गया है। अच्छे ढंग की ट्रेनिंग, जांच पड़ताल के आधुनिक साधन, दूर संचार के तेज साधन तथा आने जाने की काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चौकसी विभाग को मजबूत बनाया है। विशेष जांच अधिकरण, जिसे अब 'राज्य चौकसी ब्यूरो' कहा जाता है, का अध्यक्ष एक वरिष्ठ अधिकारी है। ब्यूरो के दो मुख्य यूनिट हिसार तथा करनाल में स्थापित किये गये हैं। गैर सरकारी लोगों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक चौकसी समिति बनाई गई है। आपातकाल के दौरान अवैध रूप से गिराये गये भवनों तथा ऐसी ही हुई अन्य ज्यादतियों के संबंधी मुआवजे के मामलों की जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों का एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न जांच आयोगों से सम्बद्ध मामलों की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरणों (Authorities) ने जांच हेतु माह आयोग से प्राप्त रिपोर्टों के संबंध में अपनी-अपनी रिपोर्टें भेज दी हैं। उन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी की जा रही है। जांच आयोगों के रूप में नियुक्त किये गये प्राधिकरण अब भोश रिपोर्टों की जांच पड़ताल कर रहे हैं।

मेरी सरकार जहां सामान्य जनता की रिपोर्टों को दूर कर रही है वहां अपने उन कर्मचारियों की आवश्यकताओं को भूल नहीं गई हैं, जिनके द्वारा वह अपने कल्याणकारी तथा विकास के प्रोग्राम चला रही है। इन सभी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करने के लिए वेतन आयोग नियुक्त किया गया है।

ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लिए आर्थिक विकास के फल का पूरा वितरण करना पड़ेगा। इसलिये जरूरी चीजों की पब्लिक में बांट का ढंग विशेष महत्व रखता है। सहकारी स्टोर और दूसरी सहकारी समितियां बाजार में मूल्यों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। कपड़ा, मिट्टी का तेल, दवाइयां, लिखने पढ़ने का सामान जैसी आवश्यक वस्तुएं इन एजेंसियों द्वारा बेची जा रही हैं। सीमेंट का वितरण परमिटों द्वारा किया जाता है और इस वितरण को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने की स्कीम विचाराधीन है। डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति, जो रबी की बुवाई के समय कठिन थी, अब बहुत सुधर गई है। मेरी सरकार कोयले की स्थिति के बारे में चिन्तित है और उत्सुक है कि केन्द्र सरकार की मदद से राज्य में कोयले की सप्लाई में सुधार किया जाये। विकास के भारी प्रोग्राम को चलाने के लिए सरकार द्वारा साधन जुटाने के लिए यत्न किये जाने हैं। 1978-83 के योजना काल में आय वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया है, जबकि 1977-78 तक की अवधि के दौरान हरियाणा द्वारा वृद्धि 6.6 प्रतिशत प्रति वर्ष प्राप्त हुई थी। इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बचतें जमा करनी पड़ेंगी, राजस्व संग्रहण अधिक करना पड़ेगा, टैक्सों की चोरी रोकनी होगी और किफायत करनी होगी। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रभावी पग उठाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार की प्रबल इच्छा है कि प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए फील्ड में ही अधिकारियों द्वारा लोगों की शिकायतें अव्यय दूर की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा हिदायतें जारी कर दी गई हैं और विधायकों को प्रशासन की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में हिस्सा देने के लिए यत्न किये गए हैं। शिकायत कमेटियों को दोबारा गठित किया गया है और गैर सरकारी व्यक्तियों को भी शिकायतों के निवारण के काम में और विकास के प्रोग्रामों में सहयोगी बनाया गया है। भिन्न भिन्न संस्थाओं में लोकतन्त्र के असूल लागू करने शुरू कर दिये गये हैं। 1978 में 5000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा कर पंचायतों का दोबारा गठन किया गया है। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने और इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए ऊंचे स्तर की कमेटी नियुक्त की गई है जो इस मामले पर विचार कर रही है। राज्य के विकास के कार्यक्रमों में देहाती जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने यह फैसला किया है कि स्थानीय कामों के लिए गांव के लोग जितनी राशि देंगे उसके बराबर राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इस प्रयोजन के लिए अगले साल एक करोड़ रुपये की राशि रखी जाएगी। वर्तमान म्यूनिसिपल कानून को लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने के लिए और लोगों को जरूरतों की तरफ सचेत बनाने के लिए सरकार 'हरियाणा म्यूनिसिपल ऐक्ट' का परीक्षण करके उसे संशोधन करने पर विचार कर रही है। सरकार का यह भी निर्माण

है कि प्रदेश भर में म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव अगले कुछ महीनों में करा दिये जाएं।

मेरी सरकार यह महसूस करती है कि प्रासासन के नये ढंग, जिसमें सरकार जन सामान्य की जरूरतों और समस्याओं की तरफ सचेत हो, जन जीवन दोशरहित बने, देहाती अर्थ व्यवस्था का विकास हो तथा शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाए, को हर कीमत पर और पूरी तनदही से जारी रखा जाए। सरकार उत्सुक है कि राज्य नीति के अधीन किये जाने वाले मुख्य कार्य अर्थात् 'पानी का प्रबन्ध और भ्रष्टाचार बंद' पूरे उत्साह से जारी रखे जाएं। हम सभी राज्य के पुननिर्माण के महान कार्य में लगे हुए हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस विशय में सब का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, आप द्वारा बजट प्रस्तावों तथा अनेक वैधानिक मामलों पर विचार किया जाना है, इसलिए मैं इस विचार विमर्श के लिए मंगल कामना करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ।

जय हिन्द।

भाषक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: साहिबान, अब आबुचुएरी रिफरैन्सिज होंगे।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, पिछले सत्र के बाद और आज जब हम बजट से इन के सम्बन्ध में मिल रहे हैं, इस बीच में कुछ गण्य-मान्य व्यक्ति, महान विभूतियां इस देश से, संसार यात्रा पूर्ण करके चली गयी हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जैसेकि संसद और विधान मंडलों में प्रथा है, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

स्पीकर साहब, हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमान दादा साहब चिन्तामणि पावटे का जन्म 1899 में करनाटक राज्य के बेलगाम जिले में मामदपुर के मुकाम पर हुआ था। स्पीकर साहब, वे बम्बई से एम.ए. औनर्ज की मैथीमैटिक्स में डिग्री हासिल करने के बाद 28 वर्ष की आयु में गणित में कैम्ब्रिज ट्राइपौस की परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद महामना मालवीय जी की छत्रछाया में बनारस हिन्दू विविद्यालय में गणित के प्राध्यापक रहे। दो वर्ष के बाद बम्बई एजुकेशन सर्विस में आ गये। 1947 में वे वहां के डी.पी.आई. नियुक्त हो गये। स्पीकर साहब, उनकी योग्यता को देखते हुए करनाटक की सरकार ने उनको करनाटक विविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया। वहां उन्होंने 13 वर्ष तक बड़ी सफलतापूर्वक कार्य किया। 1956 में भारत का एक विश्व मंडल अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रैन्स में जेनेवा में जाया, तो उस समय उन्होंने उसका नेतृत्व किया था और 1961 से लेकर 1967 तक वे यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के

मैम्बर भी रहे। हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब के वे 1967 से लेकर 1973 तक लगातार राज्यपाल रहे। उन दिनों हम उनकी किताब को पढ़ा करते थे। राज्यपाल का जो उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने 'माई डेज एज गवर्नर' के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। स्पीकर साहब, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। ऐसी विद्वान विभूति, एजुकेटिविसिट 17 जनवरी, 1979 को इस संसार से विदा हो गयी। जिसका हमें बड़ा खेद है।

इसी प्रकार से स्पीकर साहब, श्रीमान जोगेन्द्र सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे जो 9 फरवरी, 1979 को स्वर्गवास हो गये। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राय बरेली जिले में हुआ था। स्पीकर साहब, उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कालबिन तालुकदार कालिज और बाद में रायल इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में हुई। वे केन्द्रीय धारा सभा जिसे सेंट्रल असैम्बली कहा करते थे, में 1934 में चुने गए। जब अंग्रेजों के भासन कला में भारत को संवैधानिक अधिकार देने और सत्ता ट्रांसफर करने की बात चली, उस वक्त वे कांस्टीच्यूएंट असैम्बली के सदस्य थे और वे उसके 1946 से लेकर 1949 तक सदस्य रहे। उसके बाद स्पीकर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि वह कांस्टीच्यूएंट असैम्बली आगे चल कर पार्लियामेंट बन गयी, इस तरह से वे 1952 तक उसके सदस्य चलते रहे। श्रीमान जोगेन्द्र सिंह जी 1952 से लेकर 1962 तक लोक सभा के लिए निरन्तर निर्वाचित होते रहे और फिर 1964 से लेकर 1971 तक राज्य सभा

के सदस्य भी रहे। 1971 में उड़ीसा के राज्यपाल बने और फिर राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। 1977 में लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। स्पीकर साहब, 9 फरवरी, 1979 को उनका देहावसान हुआ। उनका सारा जीवन एक अच्छे पार्लियामेंटेरीयन की तरह बीता। वे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका इस संसार से चला जाना जहां उनके परिवार के लिए दुःखदायी है, वहां इस देा के लिए भी बड़ा भारी हानिकारक है।

इसी प्रकार से श्री सीतामल्ली गोबिन्दन मुरगैयन पार्लियामेंट, उनका भी देहान्त 5 जनवरी, 1979 को हो गया। स्पीकर साहब, वे दक्षिण भारत के रहने वाले थे। वे 1956 से 1970 के दौरान ग्राम पंचायत नोचोअर के प्रधान रहे। वहां पर वे 1961-70 तक पंचायत यूनियन कोटटूर के प्रधान भी रहे। वे एक अच्छे राजनैतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नागापट्टी नाम कांस्टीच्यूएंसी से वे 1977 में लोक सभा में चुनकर आये थे। उनका अकस्मात देहावसान हो जाने से जहां उनके परिवार वालों को अत्यंत कष्ट हुआ है, वहां यह देा के लिए भी एक गहरा सदमा है।

इसी प्रकार से चौधरी चंद्रमणि लाल, एम.पी., जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, जिनका राजनैतिक जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा, 1930-32 और 1942 में उन्होंने अंग्रेजों की जेलों में यातनाएं सहें। उनका देहावसान 8 फरवरी, 1979 को हो गया। वे

जवाहर लाल नेहरू सेवा समिति और गांधी हरिजन सेवा आश्रम, हरिजन उत्थान महा समिति आदि-आदि कई समितियों के प्रधान रहे। वे बिहार विधान सभा के 1952 से लेकर 1957 तक सदस्य रहे। वे इतने लोकप्रिय थे कि बाद में लोक सभा में 1957 से लेकर 1967 तक चुने जाते रहे। 1974 में वे राज्य सभा में चुने गए। स्पीकर साहब जहां वे एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे वही वे एक स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। स्पीकर साहब, उनके चले जाने से हमें बड़ा खेद है।

इसी प्रकार से श्री ए. भांकर अत्वा, नाम के महानुभाव भूतपूर्व संसद सदस्य भी इस संसार से चले गए। वे सर्वप्रथम मंगलौर म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य चुने गये और बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य भी रहे। वे एक अच्छे वकील होने के कारण मंगलौर बार एसोसिएशन के सैक्रेटरी भी रहे। स्पीकर साहब, वे एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे। उनकी समाज के गिरे हुए वर्ग को ऊपर उठाने में बड़ी रूचि थी और जहां उनमें यह योग्यता थी वहां उनको स्पोर्ट में भी बड़ी भारी रूचि थी। स्पीकर साहब, वे 1962-67 तक लोक सभा के सदस्य रहे और 1972 में करनाटक राज्य के मंत्रिमंडल में दो वर्ष तक सहकारिता मंत्री भी रहे। वे एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन और स्टेट्समैन थे। उनका भी देहावसान देश के लिए एक बड़ी भारी क्षति है।

इसी प्रकार श्री एम.एस. सुगन्धी जो भूतपूर्व संसद सदस्य थे, उनका जीवन भी बड़ा संघशामिय रहा है। स्पीकर साहब,

वे इतने प्रिय थे कि 1937 में बम्बई विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने 1940-41 और 1942-43 में जेल यात्रा की। वह 1957 में लोक सभा के लिए चुने गए। इनका निधन 19 जनवरी, 1979 को हो गया।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार श्री राम प्रसाद टमटा, भूतपूर्व संसद सदस्य जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ने हरिजनों के उत्थान के लिए बड़ा सराहनीय काम किया। स्पीकर साहब, जाते हैं और घरों में नौकरी करते हैं लेकिन हरिजनों के बच्चे पहाड़ों से नहीं आ सकते क्योंकि उनमें शिक्षा नहीं होती। स्पीकर साहब, उन्होंने अपने प्रयास से अनुसूचित जातियों के लिए 125 से भी अधिक स्कूल खोले। उनकी सेवा से प्रेरित होकर वहां की जनता ने 1936 में उनको उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए चुना। वे 1936 से 1946 तक विधान सभा के और 1947 से 1952 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। अपने सराहनीय कार्यों के कारण 1956 में वे राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

स्पीकर साहब, श्री मुकन्द लाल अग्रवाल भूतपूर्व संसद सदस्य का देहान्त 11 फरवरी, 1979 को हो गया। आप पीलीभीत के रहने वाले थे। आप 1938 से 1940 तक पीलीभीत जिला ग्रामीण विकास संस्था के अध्यक्ष रहे और 1946 से 1952 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और 1952 में लोक सभा में आ गए। इसी प्रकार कई विधायक और संसद सदस्य जिनका

मैंने उल्लेख किया है उन्होंने अपना अच्छा सफल जीवन व्यतीत किया और अभी हाल ही में उनका देहावसान हुआ है।

स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री जिन्दर लाल जो अवकाश प्राप्त जज थे, उनका देहावसान 19 फरवरी, 1979 को हो गया। उनका जन्म रामला में हुआ था। पंजाब से हायर ऐजुकेशन लेने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिये यू.के. गए। वहां पर आपने कानून की शिक्षा ली और 1933 में बैरिस्टर बने। 1934 में वे भारत लौटे और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत आरम्भ की और फिर लाहौर कालिज में लैक्चरर रहे। इसके बाद वे हाई कोर्ट के जज बने। 1970 में आप रिटायर हुए। आप बड़े ही कामयाब न्यायधीन थे।

स्पीकर साहब, हरियाणा की एक मायानाज हस्ती श्री मोलिचन्द्र भार्मा रोहतक जिले झज्जर नगर के रहने वाले थे। आपके पूज्य पिता श्री दीन दयाल जी महामना मालवीय जी के सहयोगी थे। आज तो लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों तक विचार अपने आप पहुंच जाते हैं लेकिन उस समय जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के इतने साधन नहीं थे। उस समय समाज सुधारक तथा विचारक अपनी वाणी के माध्यम से तथा अपनी योग्यता के बलबूते पर अपनी बात जनता तक पहुंचाते थे। ऐसे ही श्री दीन दयाल जी के सुपुत्र थे जो संस्कृत और हिन्दी के महान विद्वान थे। वे संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महासचिव के पदों पर भी रहे और आरम्भ में

जब वे राजनीति में आए तो भारतीय जनसंघ के प्रधान बने और फिर विचार बदलने पर कांग्रेस में चले गए। 12 जनवरी, 1979 को आपका देहावसान हो गया। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति और हरियाणा के निवासी ऐसे महान सपूत का निधन हो जाना इस सदन के लिए बड़ा दुखदायी है।

स्पीकर साहब, पिछले दिनों 12 फरवरी को श्री मान एच.आर. भाटिया जिनका प्रारम्भिक जीवन तो इंजीनियर से आरम्भ हुआ, का निधन हो गया। श्री भाटिया ने बम्बई से इंजीनियरिंग पास की और इंजीनियरिंग का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इम्पीरियल कालिज, लन्दन से किया। इसके बाद 1933 में पंजाब बिजली महकमें में आसिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण चीफ इंजीनियर रिटायर हुये। स्पीकर साहब, वे भोपाल में जो भारत हैवी इलैक्ट्रीकलज है, के 1956 से 1958 तक जनरल मैनेजर के पद पर रहे। इसके पचास वे संयुक्त पंजाब में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहे। आपको थापस इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर एंड टैक्नोलोजी, पटियाला का प्रिंसीपल नियुक्त किया गया जहां से वह 1967 में रिटायर हुए। स्पीकर साहब, वे और भी कई पदों पर आसीन रहे। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जो ट्रिब्यून पत्र चलता है वह पहले अंग्रेजी में चलता था लेकिन अब तो हिन्दी तथा पंजाबी में भी चलने लगा है, के ट्रस्ट के चेयरमैन चुने गए। इस ट्रस्ट का चेयरमैन होनी बड़ी प्रतिभा और गरिमा की बात है। ऐसे

योग्य व्यक्ति और ऐमीनेंट सो ल फिगर का इस दुनिया से उठ जाना बड़े दुःख की बात है।

स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों मेरे भाहर के रहने वाले और मेरे आदरणीय मित्र श्री देव राज सेठी जो 1938 से 1947 तक अविभाजित पंजाब में विधान सभा के सदस्य रहे, का निधन 22 फरवरी, 1979 को हो गया। वे लाला जापत राय, श्री लाल बहादुर भास्त्री तथा श्री पुरुशोत्तम दास टंडन के निकट सहयोगी थे। यह बात ठीक है कि चुनाव में मेरा दो बार उनसे मुकाबला हुआ लेकिन फिर भी मैं उनका बड़ा आदर करता था। उन्होंने सारा जीवन स्वाधीनता संघर्ष में लगा दिया। ऐसे महानुभाव का इस संसार से उठ जाना बड़ा दुःखदययी है।

स्पीकर साहब, हमारे एक और महानुभाव श्री मोरे वर दिनकर जो जी जो भूतपूर्व संसद सदस्य थे, का निधन 23 फरवरी, 1979 को हो गया। उन्होंने शिक्षा राजकीय हाई स्कूल, रतनगिरी और विल्सन एंड एल्फिनस्टोन कालिज, बम्बई से प्राप्त की और बाद में 1931 से 1946 तक वकालत की। वह 1940 से 1942 तक रतनगिरी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेजिडेंट रहे। श्री जो जी ने 1938 से 1942 तक रतनगिरी तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। 1946 में वह बम्बई विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे 1952 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार पिछले दिनों कई राज्यपाल, संसद सदस्य तथा विधायकों, पार्लियामेन्टेरियन और ट्रिब्यून अखबार के

ट्रस्ट के चेयरमैन आदि महानुभावों का निधन हुआ है, जिससे दे 1 तथा समाज को बड़ी हानि हुई है और उनकी क्षति पूर्ति करना बड़ा कठिन कार्य है। मैं आ 11 करता हूँ कि जो भाोक प्रस्ताव मैंने रखा है सदन उसका समर्थन करेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, माननीय डाक्टर मंगल सैन जी ने जो भाोक प्रस्ताव हाउस में रखा है मैं उनके साथ भाामिल होता हूँ। जिन नामवर हस्तियों का पिछले दिनों निधन हुआ है उन्होंने दे 1 की बेहद सेवा की है। सभी इस जमाने के बड़े से बड़े पोलिटी ियन, ऐजूके िनिस्ट्म और समाज सेवक थे। ऐसी हस्तियों के इस संसार से उठ जाने से वाकई दे 1 को बड़ी भारी हानि पहुची है। साहिबान से मेरी जाति वाकफियत थी और कुछ से नजदीकी ताल्लुकात थे। श्री पावटे बहुत कठिन वक्त में पंजाब के गवर्नर रहे और काफी समय तक पड़ोस के सूबे की भारी खिदमात की। वह एक बहुत ऐजूके िनिस्ट थे और उन्होंने आला पाये का पोलीटि ियन और एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत भी दिया।

श्री जोगेन्द्र सिंह, हमारे दे 1 के पुराने पोलिटी ियन और पार्लियामेन्टेरियन थे। वे सन् 1934 में सैन्ट्रल असैम्बली में चुन कर आये और उसके बाद दो सूबों के गवर्नर भी रहे और उन्होंने गवर्नर की हैसियत से एक बड़ी अच्छी रिवायात भी कायम की।

श्री मोलीचन्द्र भार्मा, जोकि हमारे हरियाणा राज्य के रहने वाले थे, एक बड़े स्कौलर थे और बहुत लायक आदमी थे। हमारे हरियाणा को ऐसे सपूतों के ऊपर हमें ही नाज रहेगा।

श्री जिन्दर लाल, जोकि हमारे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने जब दिल्ली में वकालत की, उस वक्त मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान और दोस्ती रही। एक जज की हैसियत से उन्होंने बड़ा नाम हासिल किया और उनके किये हुए फैसलों को लोग आज तक याद करते हैं।

श्री देवराज सेठी जो कि पंजाब विधान सभा के सदस्य थे और पार्टी इन के बाद जब वे इधर आये तो उन्होंने सियासत में और कांग्रेस पार्टी में अपना एक खास स्थान बना लिया था। असैम्बली में भी हमने उनको देखा था कि लोगों की सेवा करने के लिए उनके दिल में कितनी लग्न थी। दिन रात इसी काम के लिए बाइसिकल पर घूमते रहते थे, कभी उन्होंने किसी गरीब का काम करने में सुस्ती नहीं की, हर वक्त गरीबों की मदद करने के लिए वे तत्पर रहते थे।

श्री एच.आर. भाटिया, एक नामवर हस्ती थे जिन्होंने दे आ की बड़ी सेवा की, खास तौर पर पंजाब की काफी सेवा की। जब पहले पहल पंजाब में बिजली बोर्ड कायम किया गया उस वक्त मैं बिजली और आबपा की का वजीर था और हमने उनको एक काबिल इंजीनियर समझा और बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना दिया

और उनका काम मैंने कई साल तक देखा भी, हमने कभी यह जरूरत नहीं समझी कि उनको किसी काम के लिए डायरेक्टिव दें। हमें कभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि हम उनके किसी काम में सुधार के लिए तजवीज दें। जितने वे काबिल इंजीनियर थे उतने ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ऐसे लोगों का इस संसार से उठ जाना वाकई बड़ा दुःखदायी होता है। इस सारे हाउस को दिल से इन सभी के परिवारों के साथ हमदर्दी है और हम उनकी आत्मा की भ्रान्ति के लिए दुआ करते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्वर्गवासी नेताओं के बारे में इस सदन में काफी कुछ कहा गया है, वे वाकई बड़े इन्सान थे और उन्होंने मुखतलिफ ओहदों और पोजी ानों पर दे ा की बहुत बड़ी सेवाएं की हैं। डाक्टर पावटे हमारे पड़ोसी राज्य के गवर्नर थे और बहुत बड़े एजुके ानिस्ट थे।

सरदार जोगिन्द्र सिंह साबिक गवर्नर राजस्थान वे बहुत देर तक सैन्टर में सैन्ट्रल असैम्बली लोक सभा और राज्य सभा के मैम्बर रहें। इसके अलावा मैम्बरान पार्लियामैन्ट और साबिका मैम्बरान पार्लियामैन्ट जिनका जिक्र यहां पर किया गया है उन्होंने भी अपने तौर पर दे ा की बहुत सेवा की। श्री जोगिन्द्र सिंह जी के देहान्त का समाचार सुनकर वि ोश तौर पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उन्होंने रायल इंडियन मिल्ट्री कालिज, देहरादून में अपनी तालीम हासिल की थी जहां पर कि मैंने अपनी एजुके ान पाई थी।

श्री जिन्दर लाल एक बहुत महान वकील थे और बाद में हाई कोर्ट के जज रहे।

श्री मोलीचन्द्र भार्मा, साबिक प्रधान जनसंघ, हमारे हरियाणा के ही रहने वाले थे। वह बहुत माहिरेजबान थे।

श्री एच.आर. भाटिया, एक बहुत बड़े इंजीनियर थे और इसके इलावा ट्रिब्यून के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के चेयरमैन भी रहे।

इसके इलावा श्री देवराज सेठी जोकि पंजाब विधान सभा के मैम्बर थे, उन्होंने भी लोगों की बहुत सेवा की।

स्वर्गवासी नेताओं के बारे में मेरे साथियों ने जो विचार और भावनाएं प्रकट की हैं, मैं अपने आपको उन भावनाओं के साथ भामिल करता हूँ। मैं इस सदन की भावनाओं और हमदर्दी को भोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन स्वर्गवासी नेताओं की याद में सम्मद प्रकट करने के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं की याद में दो मिनट का मौन धारण किया।)

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

1. सभापतियों की तालिका

श्री अध्यक्ष: हरियाणा विधानसभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित मैम्बरों को सभापतियों के नामों की सूची (पैनल आफ चेयरमैन) में काम करने के लिए नामजद करता हूँ:-

1. चौधरी खुर गीद अहमद ।
2. चौधरी हरस्वरूप बूरा ।
3. श्री के.एल. पोसवाल ।
4. चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान ।

2. याचिका समिति

हरियाणा विधानसभा के रूलज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के नियमों के नियम 286(1) के अधीन, मैं निम्नलिखित मैम्बरों के नाम कमेटी आफ पैटी इन में काम करने के लिए नामजद करता हूँ:-

1. कंवर विजय पाल सिंह (उपाध्यक्ष) एक्स आफिसियो चेयरमैन ।

2. चौधरी हरस्वरूप बूरा, सदस्य ।
3. श्री फतह चन्द विज, सदस्य ।
4. चौधरी बीरेन्द्र सिंह, सदस्य ।
5. स्वामी आदित्यवे ।, सदस्य ।

सचिव द्वारा घोशणा

श्री अध्यक्ष: अब सैक्रेटरी साहब एक घोशणा करेंगे ।

सचिव: मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जोकि हरियाणा विधान सभा ने अपने पिछले दिसम्बर सत्र 1978 के दौरान पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेजर पर रखता हूँ ।

विवरण

1. The Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Bill, 1978.
2. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1978.
3. The Medical College Rohtak Bill, 1978.

4. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1978.
5. The Haryana Urban Development Authority (Amedment) Bill, 1978.
6. The Haryana Muncipal (Second Amendment) Bill, 1978.

सदन की मेज पर रखे गए कागज—पत्र

Mr. Speaker: Now the Minister(s) will lay/re-lay the papres on the Table.

Agricultural Minister (Brig. Ran Singh): Sir, I lay on the Table the Annual Audit Report of the Haryana Agricultrual University Hissar for the year 1976-77, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

I also lay on teh Table the 11th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1977-78, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

शिक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य): मान्यवर, मैं हरियाणा राजभाशा अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार भाशा विभाग, हरियाणा की अधिसूचना सं. 10/81/76—ई.डी.1(3) दिनांकित 24 जनवरी, 1979 सदन की मेज पर रखता हूँ।

सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र

Chief Parliamentary Secretary (Sh. Surinder Singh Aujla): Sir, I beg to re-lay on the Table a copy each of the following notifications regarding amendments in the Punjab Motor Vehicles, Rules, 1940.....

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मेरे साथी जो कुछ पढ़ रहे हैं वे हिन्दी में ही पढ़ें।
(तोर)

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी आपका प्वायंट नोट हो गया है। जहां तक हो सकेगा कार्यवाही हिन्दी में ही चलेगी। (विध्न एवं तोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जिनसे प्रतिज्ञा करवाई थी वे हिन्दी में ही बोलें। अभी अध्यक्ष महोदय भी हिन्दी में बोलें हैं और शिक्षा मंत्री जी भी हिन्दी में ही बोलें हैं। मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी कहा था कि हिन्दी में बोलें उन्होंने कहा है कि जहां तक कोर्ण्ड होगी मैं हिन्दी में ही बोलूंगा।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो कागज रखे गये हैं वे सारे अंग्रेजी में रखे जा रहे हैं आपने पिछले सेशन में रूलिंग दी थी कि जो कागज सदन के पटल पर रखे

जाएंगे वे अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी रखे जायेंगे। लेकिन आज जो कागज रखे गये हैं वे केवल अंग्रेजी में ही हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात हमने सुन ली है, सब आप तारीफ रखें। मैं गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो भी कागज सदन में रखे जाएं वे जहां तक हो सके दोनों भाशाओं में होने चाहिए। सुरेन्द्र सिंह जी जो कागज आप रि-ले कर रहे हैं उनकी एक एक हिन्दी की कापी आप स्वामी जी को भिजवा देना।

Now you may re-lay the papers on the Table.

Sh. Suriender Singh Aujla: I re-lay on the Table a copy each of the following Notifications regarding amendments in the Pujab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Punjab Motor Vehicles Act, 1939:-

- i. Notification No. OGR 25/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (23)/78, dated the 10th March, 1978.
- ii. Notification No. OGR 82/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (24)/78, dated the 28th July, 1978.
- iii. Notification No. OGR 83/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (25)/78, dated the 28th July, 1978.
- iv. Notification No. OGR 84/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (26)/78, dated the 28th July, 1978.
- v. Notification No. OGR 85/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (27)/78, dated the 28th July, 1978.

- vi. Notification No. OGR 86/C.A.4/39/Ss. 68/Amd. (28)/78, dated the 4th August, 1978.
- vii. Notification No. OGR 87/C.A.4/89/Ss.24 and 41/Amd. (29)/78, dated the 4th August, 1978.
- viii. Notification No. OGR 97/C.A.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (30)/78, dated the 1st September, 1978.

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow, the 1st March, 1979.

15.48 बजे

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 1st March, 1979.)